जिला योजना कार्यालय, समस्तीपुर
(पुनर्निविदा आमंत्रण सूचना)

माननीय सांसद, समस्तीपुर द्वारा सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत अपने संसदीय क्षेत्राधीन नगर परिषद्, समस्तीपुर हेतु (एक अदद्) चार चक्के के गाड़ी पर स्थापित फोगिंग मशीन जिसकी क्षमता 100 हैक्टेयर एवं साथ में पानी छिड़काव की व्यवस्था हो को क्रय कर उपलब्ध कराया जाना है। जिसके लिए जिला पदाधिकारी के निदेशनुसार मुहरबन्द निविदा आमंत्रित की जाती है। सभी कम्पनियों और उनके प्राधिकृत विक्रेता सामानों के आपूर्त्ति हेतु निम्नांकित शर्तों के साथ तकनीकी एवं वित्तीय निविदा मुहरबन्द लिफाफे में दिनांक 03.10.2013 को 3:30 बजे अपराह्न तक जिला योजना कार्यालय, समस्तीपुर में दाखिल कर सकते हैं। जिला क्रय समिति के समक्ष कार्यालय प्रकोष्ठ में दिनांक 03.10.2013 को 3:30 बजे अपराह्न में निविदा खोली जाएगी, जिसमें निविदादाता अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि भाग ले सकते है।

क्र0	सामग्री का नाम	कुल
01	चार चक्के के गाड़ी पर स्थापित फोगिंग मशीन क्षमता 100 हैक्टेयर (पानी छिड़काव की व्यवस्था सहित)	1 (एक) अदद

निविदा की शर्तें :

01. निविदादाता द्वारा तकनीकि निविदा के लिफाफे में निम्नलिखित कागजात रखे जायेंगे।
    (i) जिला योजना पदाधिकारी, समस्तीपुर के पदनाम से ₹ 20,000/– (बीस हजार) का बैंक ड्राफ्ट अग्रधन के रूप में संलग्न करना अनिवार्य होगा जो इलाहाबाद बैंक समस्तीपुर में भुगतेय होगा।
    (ii) VAT निबंधन छायाप्रति एवं अद्यतन VAT स्वच्छता प्रमाण पत्र।
    (iii) आयकर अधिनियम के अन्तर्गत Company/Properitor के नाम PAN No. की छायाप्रति।
    (iv) नोटरी पब्लिक से शपथ–पत्र की निविदादाता कभी काली सूची में नहीं रहे हों।
    (v) आपूर्ति की जानेवाली सामग्री से संबंधित विशिष्टियों के लिफलेट।
    (vi) वर्णित सामानों के अनुभव संबंधित प्रमाण पत्र पूर्ण विवरण के साथ देना होगा।
02. तकनीकि निविदा में सफल निविदादाता के ही वित्तीय निविदा पर विचार किया जायेगा।
03. वित्तीय निविदा में सामग्री का नाम Specification (विशिष्टीकरण) दर सहित देना होगा।

अन्य शर्तें :

04. सामग्री उत्कृष्ट मानक का होना चाहिए।
05. चयनित विक्रेता को सामग्री का परिवहन व्यय स्वयं करना होगा।
06. गारंटी/वारंटी अवधि में सामग्री के रख–रखाव पर आपूर्तिकर्त्ता स्वयं ससमय ध्यान देते रहेंगे।
07. अनुमोदित आपूर्तिकर्त्ता को आदेश प्राप्ति के एक माह के अन्दर गुणवत्तायुक्त सामान संबंधित स्थानों पर आपूर्ति करना होगा।
08. किसी भी निविदा को बिना बताये स्वीकार/अस्वीकार करने का सर्वाधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास पूर्णतः सुरक्षित होगा।

ह0/- 19/9/13

जिला योजना पदाधिकारी
समस्तीपुर।